



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता-विस्तरण/2025-26/4226

दिनांक : 19/06/2025.

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य, Buddha Law College, Gida Gorakhpur

विषय : B.A.-L.L.B. & L.L.B. विषयों/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता-विस्तरण प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन सम्बद्धता-समिति की संस्तुति दिनांक 14.06.2025 एवं 18.06.2025 को मा0 कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15/06/2024 में प्रदान किये गये अनुमोदन के अनुसार शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन के दृष्टिगत स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत योजित विषयों/पाठ्यक्रमों में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु सम्बद्धता-विस्तरण प्रदान किया जाता है।

सम्बद्धता-समिति की संस्तुति के आधार पर Buddha Law College, Gida Gorakhpur को संदर्भित विषयों/पाठ्यक्रमों यथा- (B.A.-L.L.B. & L.L.B.) की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता-विस्तरण प्रदान की जाती है-

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों- निरीक्षण मण्डल द्वारा इंगित कमियों/मानकों (यथा- मानक पूर्ण न होने/प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने/महाविद्यालय में प्राचार्य अनुमोदन न होने, प्रबन्ध समिति अनुमोदन न होने, नकल में आरोपित होने, परीक्षाफल मानकानुसार न होने) को पूर्ण न करने के कारण एक वर्ष हेतु सम्बद्धता विस्तरण तथा अनापत्ति आदेश में इंगित शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा। शासनादेश के अनुसार स्थाई सम्बद्धता के मानकों को पूर्ण करने के उपरान्त ही महाविद्यालय को स्थाई सम्बद्धता दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रेंजिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2022-23, 2023-24 तथा डी0सी0एफ0-11 का फार्म पूरित कर दिया जाये, अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवेदीय,

(डी0के0 श्रीवास्तव)  
कुलसचिव

पृष्ठकंन संख्या: सम्बद्धता-विस्तरण/2025-26/.....(148) तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- (2). निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
- (3). अधिष्ठाता, विधि संकाय/परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी/अधीक्षक, परीक्षा सामान्य अनुभाग, (4). प्रभारी/अधीक्षक, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
- (5). प्रभारी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
- (6). गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव